कार्यालय – केन्द्रीय प्रतिलिपी शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक

क्रमांक :–प्रतिलिपि / 2021 / 632–640 दिनांक :– 26-10-21

प्रेषिति :–

1. मैसर्स गर्ग फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
2. मैसर्स नारायणदास फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
3. मैसर्स सुमित फोटो कॉपियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
4. मैसर्स अरशी फोटो कोपियर्स न्यायालय परिसर, टोंक
5. मैसर्स ओमेगा कम्प्यूटर एण्ड फोटोकापियर्स, न्यायालय परिसर, टोंक
6. मैसर्स आर0आर0 विजयवर्गीय फोटो कॉपियर्स, टोंक
7. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक
8. नोटिस बोर्ड जिला जन सम्पर्क कार्यालय टोंक
9. सिस्टम आफीसर जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक को जिला न्यायालय टोंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

विषय :– वर्ष 2022 में फोटोस्टेट पद्धति द्वारा प्रतिलिपियॉ तैयार करने के सम्बन्ध में निविदा

केन्द्रीय प्रतिलिपी शाखा जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक के अभिलेखों की फोटोस्टेट प्रतियां बनवाने हेतु श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय टोंक के आदेश क्रमांक स्थापना / **2021 / 8848** दिनांक **23.10.2021** की पालना में निम्नांकित शर्तो पर निविदायें बन्द लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। निविदा में आटोमेटिक फोटो कॉपी मशीन द्वारा छोटी एवं बडी नकलों की दरें अंकित की जावें। प्रथम एवं द्वितीय के फोटो के न्यूनतम चार्जेज पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विचार किया जावेगा। न्यायालयों की सभी फोटो कॉपियां लीगल साईज के **70 GSM** कागज पर की जावेंगी। निविदायें इस कार्यालय में दिनांक **10.11.2021** को दिन के **2:00** बजे तक निश्चित रूप से पहुंच जानी चाहिये। इसके बाद प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निम्न निविदा की शर्तों का पालन करने के लिये निविदा के **साथ वचन** पत्र संलग्न करना होगा। निविदायें दिनांक **11.11.2021** को सायं **4:00** बजे खोली जावेंगी। निविदा की निम्न शर्ते होंगी।

1. अभिलेखों की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने के लिये वचन पत्र देना होगा।
2. फोटोकॉपी साफ एवं सुपाठ्य होगीं।
3. न्यायालय परिसर से प्रतिष्ठान की दूरी 200 गज से अधिक नहीं होगी।
4. कार्यालय के प्रतिनिधि जिसको कार्यालय अधिकृत करेगा उसके माध्यम से ही फोटोकॉपी बनाई जावेगी।
5. प्रभारी अधिकारी द्वारा **अस्वीकृत की गयी प्रतिलिपियों को** पुनः तैयार करनी होगी।
6. यह अनंबंध **वर्ष 2022** के लिए ही मान्य होगा एवं कार्य असन्तोषप्रद होने पर अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. **प्रतिलिपी का नमूना** टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा।
8. लाईट नहीं आने की स्थिति में **जनरेटर द्वारा** लाईट संचालित कर फोटोस्टेट कॉपी तैयार करवाई जावेगी।
9. फोटोकॉपी मशीन खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपी शाखा की अनुमति से की जावेगी।
10. निविदादाता को **2500 / –रूपये की बैंक गारंटी** भी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी जो वर्ष 2022 के लिए कार्य करने हेतु सफल रहे निविदादाता को छोडकर अन्य सभी निविदादाताओं को वापिस नियमानुसार बाद रसीद लौटा दी जायेगी एंव सफल निविदादाता को वर्ष 2022 हेतु अनुबंध की पूर्ण पालना होने पर समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। यदि निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध वर्ष 2022 में किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त बैंक गारण्टी प्रभारी अधिकारी नकल शाखा के आदेश के अध्याधीन जप्त कर ली जावेगी।
11. फोटो कॉपियर्स फोटो प्रति तैयार करने के बाद दस्तावेजात संबंधित कर्मचारी को सुरक्षित संभलायेगा।

प्रभारी अधिकारी (प्रतिलिपी शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक